सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय,
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0(कानपुर नगर
एवं औरैया को छोड़कर)।

पत्रांकः क0गां0बा0वि0/3–2/2151/2013–14 दिनांक 12 अगस्त, 2013

विषय–**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत कर्मियों तथा बालिकाओं के लिए अवकाश के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक–रा0प0नि0/2323/2006–07, दिनांक 03 अक्टूबर, 2006, पत्रांक–रा0प0नि0/के0जी0बी0वी0/854/2007–08, दिनांक 30 मई, 2007, पत्रांक–अ0प0नि0/क0गां0बा0वि0/755/2008–09, दिनांक 22 मई, 2008 तथा पत्रांक–क0गां0बा0वि0/3–2/4542/2011–12, दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत कर्मियों तथा बालिकाओं के लिए अवकाश के सम्बन्ध में है।

उक्त के कम में शैक्षिक सत्र 2013–14 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए निम्नवत् अवकाश की व्यवस्था की जाती है :–

1. प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कस्तूबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों और अध्ययनरत बालिकाओं को ग्रीष्मावकाश सहित अधिकतम् 40 दिन का अवकाश अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को कतिपय परिस्थितियों में आकस्मिक और साप्ताहिक अवकाश भी अनुमन्य होगा।
2. **ग्रीष्मावकाश** की व्यवस्था निम्नानुसार की जायेगी–
   - **शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मी** : प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में सत्रान्त पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए दिनांक 01 जून से 20 जून तक 20 दिन के लिए ग्रीष्मावकाश अनुमन्य होगा।
   - **विद्यालय में अध्ययनरत बालिकायें** : विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए भी 20 दिन का ग्रीष्मावकाश अनुमन्य होगा।

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई–मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में कार्यरत चौकीदार एवं चपरासी में से एक कर्मी ग्रीष्मावकाश की अवधि में विद्यालय में उपस्थित रहेगा।

3. विशेष अवकाश– शिक्षण सत्र की अवधि में होली, रक्षाबंधन, दीपावली, ईद, बकरीद, डाला छठ, जीवित्पुत्रिका ब्रत अथवा स्थानीय आवश्यकतानुसार किसी अन्य पर्व या त्योहार के लिए जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कर्मियों एवं समस्त बालिकाओं के लिए अधिकतम् 20 दिवस के अवकाश की व्यवस्था निम्न निर्देशों के अधीन की जायेगी–

- जनपद के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों एवं अध्ययनरत बालिकाओं के लिए उपर्युक्त पर्वो/त्योहारों की अवधि एवं तिथि निर्धारित करने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा का होगा। उक्त अवधि एवं तिथि घोषित करने से पूर्व जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए विद्यालय में कार्यरत चौकीदार एवं चपरासी में से एक कर्मी उक्त अवकाशों की अवधि में विद्यालय में उपस्थित रहेगा।
- यह अवकाश जिला परियोजना कार्यालय, महिला समाख्या तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे।
- अवकाश के दिनों के अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं को विद्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में माता–पिता अथवा अभिभावक के लिखित आवेदन के आधार पर वार्डेन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। सिर्फ रविवार को माता–पिता अथवा अभिभावक निश्चित समयावधि के लिए बच्चों से मिल सकते हैं अथवा वार्डेन की लिखित पूर्वानुमति से Day Leave ले सकते हैं। प्रत्येक छात्रा के माता पिता अथवा संरक्षक जिसको अधिकृत किया जाय की फोटो पहचान पत्र विद्यालय में रखी जायेगी। उसी के आधार पर अधिकृत व्यक्ति के साथ छात्रा को अवकाश के समय जाने की अनुमति दी जायेगी।

4. **आकस्मिक अवकाश**– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था निम्न निर्देशों के अधीन की जायेगीः–

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मियों को कैलेण्डर वर्ष में 14 आकस्मिक अवकाश देय होगें।
- यह अवकाश एक माह में दो से अधिक नहीं प्रदान किये जायेगें।
- रविवार एवं अन्य अवकाशों को आकस्मिक अवकाश के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- आकस्मिक अवकाश की अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी तथा अवकाश अवधि का पता भी प्रार्थना पत्र में सूचित किया जायेगा।

5. **साप्ताहिक अवकाश**– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत पूर्णकालिक कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था निम्न निर्देशों के अधीन की जायेगीः–

- साप्ताहिक अवकाश विद्यालय के पूर्णकालिक कर्मियों यथा–वार्डेन, पूर्णकालिक शिक्षिकायें,

रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार एवं चपरासी को ही देय होगा।

- किसी भी पूर्णकालिक कर्मी को एक माह में अधिकतम् दो साप्ताहिक अवकाश देय होगें।
- यह साप्ताहिक अवकाश केवल रविवार के अवकाश के सापेक्ष देय होगा।
- साप्ताहिक अवकाश रोटेशन के आधार पर देय होगा।
- साप्ताहिक अवकाश इस प्रकार नियोजित किया जायेगा कि वार्डन के अतिरिक्त न्यूनतम् दो पूर्णकालिक शिक्षिकायें, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी एवं मॉडल–1 प्रकार के विद्यालय में दो तथा मॉडल–2 प्रकार के विद्यालय में एक रसोइया/सहायक रसोइया अवश्य उपस्थित रहें।
- वार्डन के साप्ताहिक अवकाश पर रहने की दशा में वार्डन के कार्यो एवं दायित्वों का निवर्हन वरिष्ठ पूर्णकालिक शिक्षिका द्वारा किया जायेगा।

6. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक कर्मियों को रविवार अवकाश के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश, ग्रीष्मावकाश व विशेष अवकाश देय होगा।

7. **अनुपस्थिति** – कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में समाज के अपवंचित समूह की 11 से 14 वय वर्ग की कभी भी नामांकित न हुई अथवा ड्रापआउट बालिकायें प्रवेश प्राप्त करती है। इनके पठन-पाठन के लिए सामान्य से अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। अतः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत कर्मियों की अवकाश की अवधि के उपरान्त भी अनुपस्थिति की दशा में निम्न निर्देशों के अधीन कार्यवाही की जायेगीः–
   - यदि कोई कर्मी उपर्युक्त अवकाश की अवधि के उपरान्त भी अनुपस्थिति रहता है तो ऐसी अनुपस्थिति अवधि के लिए वेतन देय नहीं होगा।
   - लगातार अवकाश के उपरान्त सेवा से अनुपस्थिति को कदाचरण माना जायेगा।
   - एक शैक्षिक सत्र में अवकाश की अवधि के उपरान्त 10 दिन से अधिक अनुपस्थिति की दशा में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उपरान्त पत्रावली में साक्ष्य सहित स्पष्ट आकलन किया जायेगा तथा कर्मी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कर पत्रावली जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

8. अवकाशों का लेखा–जोखा रखने के लिये निम्नवत् व्यवस्था की जायेगी :–
   - आकस्मिक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, ग्रीष्मावकाश एवं विशेष अवकाशों का कर्मीवार विवरण संकलित करने के लिए विद्यालय में अवकाश रजिस्टर रखा जायेगा।
   - यह विवरण वार्डन द्वारा संरक्षित किया जायेगा।
   - कर्मियों के अवकाशों का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से करवाना अनिवार्य होगा।
   - पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, अंशकालिक शिक्षिकाओं, लेखाकार, रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार और चपरासी का अवकाश वार्डन द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाएगा जिसे इस आशय हेतु बनायी गयी अवकाश पंजिका में दर्ज किया जायेगा।
   - जिला परियोजना कार्यालय द्वारा संचालित विद्यालयों के वार्डन के अवकाश की स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महिला समाख्या द्वारा संचालित विद्यालयों के वार्डन के अवकाश की स्वीकृति जिला कार्यक्रम समन्ययक, महिला समाख्या तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के वार्डन के अवकाश की स्वीकृति स्वैच्छिक संस्था के

प्रधान / सचिव द्वारा की जाएगी।

- अवकाश अधिकार नहीं है और इन्हें विद्यालय की सुचारू व्यवस्था के हित में ही स्वीकार किया जाये। अस्तु अवकाश प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करते समय सक्षम अधिकारी निम्न बातों का ध्यान रखेगें:–
  - अवकाश पर जाने का कारण।
  - कर्मचारी के बिना उस समय सरलता से विद्यालय का कार्य चलाया जा सकता है।
  - अन्य कर्मियों की अवकाश अवधि।
  - पिछली बार लिये गये अवकाश से वापस आने के पश्चात् सेवा की अवधि।
  - किसी कर्मी को पूर्व में स्वीकृत अवकाश से वापस तो नहीं बुलाया गया है।
  - आवेदक को पूर्व में जनहित में अवकाश अस्वीकृत तो नहीं किया गया है।

9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत कर्मियों को उक्त अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं है। विशेष परिस्थितियों में यथा– चिकित्सकीय आदि कारणों से लिए गए अवकाश अवैतनिक अवकाश की श्रेणी में आयेंगे जो साधारणतया शैक्षिक सत्र में 10 दिन से अधिक नहीं होंगे।

10. विद्यालय के हित में अवकाश स्वीकृतकर्ता को अवकाशाधीन कर्मी को वापस बुलाने का अधिकार होगा।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0:– के0जी0बी0वी0 / 3–2 / 9151 / 2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0 (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर)।
4. राज्य कार्यक्रम निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, उ0प्र0।
7. जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. वार्डन, समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक